राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर

(अस्थाई कार्यालय : महिला छात्रावास भवन, बाबूशोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर)
☎ Phone : 0144-2730327, 2980046 Website : www.rrbmuniv.ac.in

क्रमांक : राऋभमवि/अल/संस्थापन/2020/344 **दिनांक : 18/03/2020**

केन्द्राधीक्षक,
समस्त परीक्षा केन्द्र,
राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय,
अलवर।

विषय :– कोरोना वायरस की रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश।
संदर्भः– चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पत्र कमांक प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर दिनांक 17.03.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में लेख है कि विश्वविद्यालय की सत्र 2019–20 की स्नातक परीक्षा हेतु आपके महाविद्यालय में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के मध्य 01 मीटर/सुरक्षित दूरी सुनिश्चित करने के बाद ही परीक्षा आयोजित की जावे एवं जिन परीक्षार्थियों से किसी भी प्रकार के संक्रमण के लक्षण परिलक्षित हों, उनके लिए अतिरिक्त सावधानी से परीक्षा आयोजित करायें, जिससे कि कोरोना संक्रमण (COVID 19) के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।
उक्त आदेश की कडाई से पालन किया जावे।
संलग्न :– संदर्भित पत्र।

कुल-सचिव

क्रमांक : राऋभमवि/अल/संस्थापन/2020/345-46 **दिनांक : 18/03/2020**

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. परीक्षा नियंत्रक को इस आशय से प्रेषित है कि तदानुसार केन्द्राधीक्षक से निरन्तर सम्पर्क कर अद्यतन व्यवस्था सुनिश्चित करें एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता को उक्त परिस्थितियों से अवगत कराते रहें।
2. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय।

कुल-सचिव

COVID-19
अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 17.03.2020

कोरोना संक्रमण (COVID-19) की रोकथाम ही इस बीमारी से बचाव का सर्वोत्तम उपाय है। इस हेतु यह आवश्यक है कि लोग आपस में मिलते समय सुरक्षित दूरी रखें व यथासंभव भीडभाड वाले स्थानों पर जाने से बचे। इसके द्वारा जो लोग बीमारी से संक्रमित है तथा जो बीमारी से संक्रमित नहीं है उनके मध्य बीमारी फैलने की दर को कम किया जा सकता है अथवा रोका जा सकता है। साथ ही मिलते समय आपस में दूरी बनाये रखने के प्रभावी क्रियान्वयन से समुदाय में इस बीमारी के फैलाव (Spread), अस्वस्थता (Morbidity), मृत्यु (Mortality) को कम किया जा सकता है, अथवा रोका जा सकता है। इस हेतु COVID-19 बीमारी के फैलने की रोकथाम के लिए विभाग द्वारा निम्नानुसार एडवायजरी जारी की जाती है:–

1. आपस में मिलते समय हाथ मिलाना तथा गले लगने जैसे अभिवादनों से बचे, स्वच्छता तथा सुरक्षित शारीरिक दूरी बनाये रखें।
2. कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु प्रदेश के समस्त सार्वजनिक स्थलों (यथा पर्यटन स्थल, संग्रहालय, ऐतिहासिक स्मारक, किले, हटवाडे, पार्क, खेल मैदान, चिडियाघर, स्पा, अभ्यारण्य, सार्वजनिक मेले, स्वीमिंग पूल, सांस्कृतिक एवं सामाजिक केन्द्र आदि) पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्र न हो। इस हेतु आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये है।
3. प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थान दिनांक 30 मार्च, 2020 तक बन्द कर दिये गये है। विद्यार्थियों की परीक्षाओं को देखते हुए ऑन लाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जावे।
4. जिन संस्थानों में बोर्ड एवं बार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, उनमें छात्रों के मध्य एक मीटर/सुरक्षित दूरी सुनिश्चित करने के बाद ही परीक्षा आयोजित की जावे।
5. निजी क्षेत्र के संगठन/नियोक्ता कर्मचारियों को यथा संभव घर से कार्य करने की अनुमति प्रदान करें।
6. बैठकों का आयोजन यथा संभव वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से किया जावे। साथ ही ऐसी बैठकें जिनमें बडी संख्या में प्रतिभागी शामिल हो, ऐसी बैठकों को यथा संभव पुर्ननिर्धारित करें।
7. रेस्टोरेन्ट अथवा होटल/ढाबों के प्रबन्धक यह सुनिश्चित करें कि बार–बार छूने वाली सतहों की सफ़ाई तथा हैंड वॉश प्रोटोकोल का पालन हो। साथ ही दो टेबलों के मध्य कम से कम एक मीटर दूरी/सुरक्षित दूरी का फ़ासला रखें एवं ग्राहकों को यथा सम्भव खुली हवा में बैठने के लिए प्रोत्साहित करें।
8. आमजन पूर्व नियोजित शादियों एवं समारोह में आगंतुकों की संख्या यथा संभव सीमित रखे।
9. सभी आयोजक ग़ैर आवश्यक सांस्कृतिक तथा सामाजिक समारोह को यथा संभव स्थगित रखें।

10. स्थानीय अधिकारियों द्वारा खेल आयोजन तथा प्रतियोगिताओं के आयोजकों से संपर्क एवं संवाद स्थापित कर ऐसे होने वाले कार्यक्रमों को यथा संभव स्थगित करने हेतु अनुरोध किया जावे।
11. स्थानीय निकायों के चुने हुये जनप्रतिनिधि/अधिकारियों के द्वारा व्यापारी संघ तथा अन्य संगठनों के साथ संवाद स्थापित कर व्यवसायिक स्थल यथा सब्जी मण्डी, अनाज मण्डी, अन्य बाजारों में क्या करें व क्या नहीं करें का अभियान चलाया जावे, साथ ही यथा संभव इनका कार्य समय सीमित करें। बाजारों में अधिक भीड न हो, इस हेतु उपाय किये जाये। साथ ही सभी व्यवसायिक गतिविधियों में ग्राहकों के मध्य एक मीटर की दूरी रखी जावे।
12. आमजन गैर जरूरी यात्राओं से बचे एवं सार्वजनिक परिवहन यथा बस, रेलगाड़ी, हवाई जहाज़ में सुरक्षित दूरी बनाकर यात्रा करें। साथ ही संबंधित अधिकारी इनकी सतहों को नियमित तथा उचित रूप से विसंक्रमित (Disinfect) करना सुनिश्चित करें।
13. समस्त चिकित्सा संस्थानों द्वारा कोरोना वायरस से सम्बंधित समस्त प्रोटोकॉल का पालन किया जावे एवं मरीज़ से मिलने वाले परिजनों, मित्र एवं बच्चों को प्रतिबंधित किया जावे।
14. ऑनलाइन सेवा प्रदाता कम्पनियों में होम डिलेवरी का कार्य करने वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षात्मक उपाय अपनाएं जावे।
15. नोटों एवं पत्रावलियों के पृष्ठ पलटने के लिए पानी के स्पंज का उपयोग किया जावे तथा इसे दैनिक रूप से विसंक्रमित किया जावे।
16. सभी निजी क्षेत्र के कार्यालय/चिकित्सालयों में बायोमेट्रिक्स उपस्थिति बन्द की जावे।

17/03/2020

(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
3. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, राज.
5. निजी सचिव, महानिदेशक पुलिस, राज.
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राज.
7. समस्त जिला कलक्टर, राज.
8. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान
9. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
10. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
11. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर।
12. निजी /रक्षित पत्रावली

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव 17.3.2020